टी0आई0 निषेधाज्ञा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

योगेन्द्र बनाम रामदयाल वगैरा

किस्म मुकदमा 88-89 PTAct मिसल नम्बर 54/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-5-22	वाद वादी योगेन्द्र की ओर से अभिभाषक अनिल खण्डेलवाल द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादी अधिवक्ता को प्राबंन्द किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये रजि0 एडी से करवाये। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 30.05.2022 को पेश हो।	
30/5/22	पत्रावली पेश हो वकील पक्षकार उप0 हो। निर्णय वास्ते तलबी के दिनांक 16.6.22 को पेश हो।	
16/6/22	पत्रावली पेश हो वकील पक्षकार उपस्थित हो। प्रतिवादीगण 1व2 की ओर से श्री [illegible] पेश व श्री [illegible] प्रतिवादीगण 1व2 की ओर से जवाब द्वारा एवं उभय पक्षों की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया व श्री [illegible] जो आदेशिका पर उभय पक्ष के हस्ताक्षर करवाये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा की एवं प्रतिवादीगण 1व2 की पहचान प्रतिवादी अधि0 द्वारा की गई। निर्णय वास्ते राजीनामा की बहस एवं अवलोकन के दिनांक 18-6-22 को पेश हो।	(वादी) योगेन्द्र प्रतिवादीगण श्याम कमलाल चम्पालाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
54 / 2022	30.05.2022	21.06.2022

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– योगेन्द्र आत्मज रामकल्याण जाति धाकड निवासी देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादीगण)

बनाम

1– रामदयाल आत्मज गणेशराम जी जाति धाकड निवासी देवपुरा तह0 दीगोद

2– धन्नालाल आतमज गणेशराम जी जाति धाकड निवासी देवपुरा तह0 दीगोद

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद की पुराने खसरा नम्बर 1415 / 67 की 14 बीघा व खसरा नम्बर 68 की 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी। जिसके खातेदार चन्दा व किशोर पिसरान छोटू जी माली थे जिन्होने उक्त भूमि को वादी के पिता रामकल्याण जी व प्रतिवादीगण के पिता गणेश जी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1954 को खरीद की गयी थी।

यह कि तत्पश्चात सेटलमेन्ट कार्य हो गया जिसके नये खसरा नम्बर 648 की 23 बीघा 10 बिस्वा कायम किया गया उसके बाद पुनः सेटलमेन्ट हो गया जिसमें खसरा नम्बर 505 की 1.73 हेक्टर व खसरा नम्बर 505 / 1208 की 1.96 हेक्टर कायम किये गये।

यह कि दोराने सेटलमेन्ट आपसी रजामन्दी से खसरा नम्बर 505 / 1208 की 1.96 हेक्टर भूमि वादी के पिता रामकल्याण जी के नाम अन्य भूमि के साथ दर्ज हुई तथा खसरा नम्बर 505 की 1.73 हेक्टर भूमि प्रतिवादीगण के पिता गणेश जी के खाते दर्ज हुई तथा प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन होने पर खसरा नम्बर 505 / 1 की 0.87 हेक्टर भूमि

Scanned with OKEN Scanner

वादी नं0 1 के नलाम व खसरा नम्बर 505 की 0.86 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से में दर्ज भूमि के खातेदार काश्तकार चले आ रहे है।

यह कि मौके के नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 505/1208 की 1.96 हेक्टर भूमि उत्तरी दिशा की वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 505 की 0.86 हेक्टर भूमि पूर्वी ओर की प्रतिवादी नं0 2 के कब्जे में तथा खसरा नम्बर 505/1 की 0.87 हेक्टर भूमि पश्चिम में प्रतिवादी नं0 1 के कब्जे में चली आ रही है।

यह कि वर्तमान में जो राजस्व रिकार्ड का नक्शा ट्रेस बना हुआ है वह मौके पर काबिज अनुसार नहीं है। इस कारण वादी व प्रतिवादीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वर्तमान नक्शे के मुकाबले मौके पर काबिज अनुसार नक्शे को दुरूस्त किया जाना व तरमीम किया जाना आवश्यक है।

यह कि इस सम्बन्धि में वादी ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 से प्रतिवादी नं0 3 के यहां जाकर नक्शा दुरूस्त करने को कहा तो उन्होने इन्कार करने एवं नक्शा दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करने को कहा गया। जिस हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

(अ) कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम देवपुरा में मद नं0 4 के अनुसार बने नक्शा ट्रेस में वाद पत्र की मद नम्बर 5 में अंकित अनुसार व मोके पर काबिज अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम व दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष में आपसी सहमति बनने एवं सहमति से उभय पक्ष में राजीनामा होने पर प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा एक लिखित राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाः—

1— यह कि उक्त वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

2— यह कि उक्त वाद में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 505/1208 की 1.96 हेक्टर भूमि उत्तरी दिशा की वादी के कब्जे काश्त में होना तथा खसरा नम्बर 505 की 0.86 हेक्टर भूमि हपूर्वी ओर की प्रतिवादी नं0 2 के कब्जे में होना तथा खसरा नम्बर 505/1 की 0.87 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 1 के कब्जे में होना स्वीकार है।

3— यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 5 के अनुसार व मौके के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना आवश्यक है उसमें प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं

Scanned with OKEN Scanner

बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा अनुसार मौके के अनुसार खसरा नम्बर 505/1208 की 1.96 हेक्टर भूमि उत्तरी दिशा की वादी के तथा खसरा नम्बर 505 की 0.86 हेक्टर भूमि पूर्वी ओर की प्रतिवादी नं0 2 के तथा खसरा नम्बर 505/1 की 0.87 हेक्टर भूमि पश्चिम में प्रतिवादी नं0 1 के कब्जे तद्नुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Scanned with OKEN Scanner